# कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
## जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

फैक्स नं. 07722–238479 ईमेल :–dpmu.dhamtari@gmail.com फोन नं. 07722–238479

पत्र क्रमांक/स्था./NHM/2016/ 417 धमतरी, दिनांक 17/11/2016

## //आदेश//

मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र कमांक/एनएचएम/2015/(NS-947)/2095 रायपुर दिनांक 27/01/2015 के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी के अंतर्गत **Staff Nurse 24x7 PHC** (संविदा) पद की नियुक्ति हेतु दिनांक 05/03/2016 को आयोजित कौशल परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता, अनुभव में प्राप्तांक के अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यार्थी की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्थाओं पर मासिक निश्चित एवं समेकित वेतन रूपये 14784/– (चौदह हजार सात सौ चौरासी रूपये मात्र) प्रतिमाह पर उनके कार्य दिवस पर उपस्थित होने के दिनांक से 31 मार्च 2017 तक के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जाती है। आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

| क्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम | चयनित वर्ग | पदस्थापना स्थल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कु. रेशमा ध्रुव | श्री रोहित कुमार ध्रुव | ST | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोराई |

**नियम व शर्ते :–**

1. निश्चित एवं समेकित वेतन के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नही होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शामिल होगें ।
3. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
4. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी को मुख्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष में 18 दिनों की आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को अन्य समकक्ष पद वाले कर्मचारियों के समान नियमानुसार शासकीय दौरे के यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।
7. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित करवाकर जमा करनी होगी तथा शासकीय/गैर शासकीय संस्था में

कार्यरत कर्मचारी संस्था के नियोक्ता द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की छायाप्रति सत्यापित कराकर कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेंगे ।

9. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया जा सके।

17.11.2016

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला धमतरी (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / स्था. / NHM / 2016 / 7637-44 — धमतरी, दिनांक 17/11/2016

**प्रतिलिपिः–**

1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर महोदय, जिला धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ।
4. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अस्पताल धमतरी की ओर सूचनार्थ।
5. जिला सूचना अधिकारी, एनआईसी, जिला धमतरी को प्रेषित कर लेख है कि जिले के वेबसाइट www.dhamtari.nic.in में अपलोड करेंगे।
6. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र नगरी की ओर सूचनार्थ।
7. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी की ओर सूचनार्थ।
8. संबंधित ........................................................................ की ओर पालनार्थ।
9. कार्यालयीन प्रति।

17.11.2016.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला धमतरी (छ.ग.)